

10  
आदेश  
श्रीनेत्र

**बिहार सरकार**  
**गृह (विशेष) विभाग**

**आदेश**

संख्या-...../कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-14/279/2002 एस0आर0(एस0) दिनांक-08.06.2006 के द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश तथा इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची के पत्र संख्या-6860 दिनांक-21.12.2006 के द्वारा दी गई सहमति के आलोक में गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या-10458 दिनांक-17.12.2009 के द्वारा निर्धारित शर्त एवं बन्धेज के तहत अपना अन्तर्राज्यीय स्थानान्तरण किये जाने हेतु बिहार पुनर्गठन अधिनियम-2000 की धारा-72 की उप धारा-(2) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा अंतिम रूप से आवंटित सामान्य प्रशासन विभाग के निम्नलिखित कर्मी को उनके अनुरोध पर एकल रूप में निम्नप्रकार से उनका संवर्ग पुनरीक्षण/स्थानान्तरण किया जाता है :-

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	जन्म तिथि	अंतिम आवंटन से संबंधित भारत सरकार के आदेश संख्या एवं तिथि	भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप से आवंटित राज्य	एकल रूप में स्थानान्तरित राज्य
1	श्री सुनील किशोर, सहायक	01.01.1959	85 (झा)/2007 दिनांक-20.02.07 शुद्धि पत्र सं-28/20/2011 SR(S) दिनांक-02.04.2012	झारखंड	बिहार

2. उपर्युक्त संवर्ग पुनरीक्षण/स्थानान्तरण माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर याचिका आवेदन सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या-3480/2013 में पारित आदेश के परिपेक्ष्य में किया जा रहा है, अतएव इसे पूर्वोदाहरण नहीं समझा जायेगा।

3. उपर्युक्त संवर्ग पुनरीक्षण/स्थानान्तरण में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-6188 दिनांक-27.04.2012 तथा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा, झारखंड, राँची के पत्रांक-4469 दिनांक-23.05.2013 के द्वारा दोनों राज्य सरकार की सहमति प्राप्त है। इस स्थानान्तरण के फलस्वरूप यात्रा भत्ता देय नहीं होगा तथा गृह (विशेष) विभाग, बिहार के पत्रांक-10458 दिनांक-17.12.2009 के आलोक में वरीयता का निर्धारण होगा।

4. एकल रूप में स्थानान्तरित किये गये कर्मी को दिनांक-31.08.2013 तक निश्चित रूप से स्थानान्तरित राज्य के लिए विरमित कर दिया जाय।

ह0/-  
(राजीव रंजन सिन्हा)  
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-स्टे0/ज्ञा0वि0-93/2011-...../

पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि-श्री सुनील किशोर, सहायक, उद्योग विभाग, झारखंड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(राजीव रंजन सिन्हा)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-स्टे0/ज्ञा0वि0-93/2011-...../

पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि-मुख्य सचिव, झारखंड, राँची/प्रधान सचिव, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, झारखंड, रांची/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(राजीव रंजन सिन्हा)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-स्टे0/ज्ञा0वि0-93/2011-...../

पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि-उप सचिव, एस0आर0(एस0), कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, लोक नायक भवन, तीसरा तल्ला, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-


(राजीव रंजन सिन्हा)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-स्टे0/ज्ञा0वि0-93/2011-.....<sup>7425</sup>...../

पटना, दिनांक-.....<sup>16-8-13</sup>.....

प्रतिलिपि-आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर डालने हेतु प्रेषित।



(राजीव रंजन सिन्हा)

सरकार के अपर सचिव।

  
16/8